न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज0)

पीठासीन अधिकारी कपिल शर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

दावा संख्या– 98/2022
वाद प्रस्तुति दिनांक–17.06.2022
निर्णय दिनांक–16.07.2024

1. छोटू पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. लाला पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)

वादीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
2. शैतान पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
3. श्रीनारायण पुत्र सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
4. सुन्दर पत्नि गोपी स्व. पुत्र श्री सुखलाल जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक
5. रामलाल पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
6. झमकू पुत्री गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
7. मीरा पुत्री गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
8. लाली पुत्री गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
9. श्रवणी पुत्री गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
10. सांवली पुत्री गोपी जाति मीना निवासी ग्राम कठमाना तहसील पीपलू जिला टोंक (राज0)
11. तहसीलदार पीपलू

अधिवक्ता वादी–श्री विवेक चौधरी
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 05–श्री राजाराम चौधरी, श्री भरत गुर्जर एड0
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 ता 10–श्री कमलेश कुमार गुर्जर एड0

दावा बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज
अन्तर्गत धारा 88, 89, 90, 91, राज0 टिनेन्सी एक्ट 1955

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद पत्र उनवानी छोटू वगै0 बनाम जगदीश वगै0 प्रकरण संख्या 98/2022 के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि भूमि आराजी ख0न0 725, 726, 727, 728, 729, 730, 762, 763,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

764, 765 कुल किता 10 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 766, 776, 777, 782, 783 कुल किता 05 कुल रकबा 2.6682 हैक्ट. व 732, 733, 758, 760, 761 कुल 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 736, 756, 757 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8967 हैक्ट. व भूमि ख0न0 734 रकबा 1.7956 हैक्ट. व भूमि ख0न0 3357, 3358, 697, 710, 743, 747, 767 कुल किता 07 कुल रकबा 3.6670 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 592, 101, 144, 651, 624, 523 पर हो रखा है। वादीगण व प्रतिवादीगण स्वर्गीय सुखलाल मीना के वारिसान है और एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। आज भी वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एक साथ रहवास कर रहे है ओर अपनी उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। जिसमें सुखलाल के प्रत्येक वारिसान का 1/6 हिस्सा निहित है। ग्राम कठमाना की जमाबंदी के खाता संख्या 592 व 101 में वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या 144 में वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 651 में वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 624 में वर्णित आराजीयात अकेजले प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 532 में वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 05 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम दर्ज भूमि को भी पक्षकारान् ने अपने संयुक्त परिवार में रहकर बनाई बसाई है। किन्तु विक्रय पत्र पारिवारिक सहमति व संयुक्त परिवार में एक साथ रहने व विश्वास के कारण अकेले उन लोगो के नाम करा दिया गया था। किन्तु आज भी सुखलाल के सभी वारिसान आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा अपने हिस्से 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर रहे है। जिसमें किसी तरह का पक्षकारान् के बीच कोई विवाद नही है। हाल ही में सुखलाल के एक पुत्र गोपी का देहान्त हो चुका है और गोपी के वारिसान 04 ता 10 है। जिनका गोपी के स्थान पर विरासत का नामान्तकरण भरा जा चुका है। यह है की ग्राम कठमाना के खाता संख्या 144, 651, 624, 523 में वर्णित आराजीयात, जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज है और जो पक्षकारान् संयुक्त परिवार में रहकर अपनी संयुक्त आय से बनायी व बसायी है। उसमें सुखलाल के सभी वारिसानो का 1/6 हिस्सा निहित है और सुखलाल के सभी वारिसान 1/6 अनुसार आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर पैदावार प्राप्त कर रहे है। उसमें सुखलाल के प्रत्येक वारिसान को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 हिस्सा वादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा वादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 के नाम दर्ज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादी की गई। प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से राजाराम चौधरी एड0 व श्री भरत गुर्जर एड0 ने वकालतनामा प्रस्तुत किया व प्रतिवादी संख्या 01 ता 10 की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश कुमार गुर्जर ने वकालतनामा व राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया की सभी पक्षकारान् स्व. सुखलाल मीना के वारिसान होना तथा संयुक्त परिवार के सदस्य होना तथा संयुक्त परिवार में रहकर आराजी को काश्त करना प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। वादपत्र के पेरा संख्या 06 में वर्णित तथ्यो को

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। हम प्रतिवादीगण संख्या 01, 02, 03, 05 इस बात को भी स्वीकार करते है की उनके नाम दर्ज आराजीयात संयुक्त परिवार में रहकर बनायी व बसायी है। जिसमें हम सभी सुखलाल के वारिसान का हक हिस्सा निहित है और हम सभी आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर हिस्सा 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रस्तुत वाद के सभी अनुतोष को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। अतः जवाब वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है की प्रतिवादीगण, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते है और वाद वादीगण डिक्री फरमाये जाने में प्रतिवादीगण सहमत है। साथ ही राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया है की पक्षकारान् ने संयुक्त परिवार में रहकर एवं संयुक्त परिवार की आय से ही हम प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम अंकित आराजीयात को खरीदकर नाम लगवायी थी। किन्तु उसके हिस्सेदार हम सभी है। सुखलाल के हम 06 वारिसान है। जिसमें से एक पुत्र गोपी का देहान्त हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 है। खाता संख्या 592 व 101 में वर्णित आराजीयात हम पक्षकारान् के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। किन्तु खाता संख्या 144, 651, 624 व 523 वाके ग्राम कठमाना हम प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज है। इस आराजीयात में हम प्रतिवादीगण के साथ साथ सुखलाल के अन्य वारिसानो का भी बराबर का हक हिस्सा निहित है और हम अन्य वारिसानो को हिस्सा देने ओर उनके नाम रिकॉर्ड में अंकित कराने हेतु सहमत है। मौके पर हम आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर अपने हिस्से 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर रहे है। इस कारण हम सुखलाल के वारिसानो को वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करे ताकि हमारे बीच किसी प्रकार का कोई विवाद न हो। जिसके लिये हमारे द्वारा यह राजीनामा माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया जा रहा है की वाद वादीगण डिक्री फरमाया जावे। अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है की पक्षकारान् का राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर प्रस्तुत प्रकरण को डिक्री फरमाये जाने की कृपा करे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया की भूमि आराजी ख0न0 725, 726, 727, 728, 729, 730, 762, 763, 764, 765 कुल किता 10 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 766, 776, 777, 782, 783 कुल किता 05 कुल रकबा 2.6682 हैक्ट. व 732, 733, 758, 760, 761 कुल 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 736, 756, 757 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8967 हैक्ट. व भूमि ख0न0 734 रकबा 1.7956 हैक्ट. व भूमि ख0न0 3357, 3358, 697, 710, 743, 747, 767 कुल किता 07 कुल रकबा 3.6670 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना तह0 पीपलू जिला टोंक में स्थित है। जिसका इन्द्राज वर्तमान जमाबंदी के खाता संख्या 592, 101, 144, 651, 624, 523 पर हो रखा है। वादीगण व प्रतिवादीगण स्वर्गीय सुखलाल मीना के वारिसान है और एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। आज भी वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एक साथ रहवास कर रहे है ओर अपनी उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। जिसमें सुखलाल के प्रत्येक वारिसान का 1/6 हिस्सा निहित है। ग्राम कठमाना की जमाबंदी के खाता संख्या 592 व 101 में वर्णित आराजीयात पक्षकारान् की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है तथा खाता संख्या 144 में वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 651 में

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 03 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 624 में वर्णित आराजीयात अकेजले प्रतिवादी संख्या 02 के नाम दर्ज है तथा खाता संख्या 532 में वर्णित आराजीयात अकेले प्रतिवादी संख्या 05 के नाम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम दर्ज भूमि को भी पक्षकारान् ने अपने संयुक्त परिवार में रहकर बनाई बसाई है। किन्तु विक्रय पत्र पारिवारिक सहमति व संयुक्त परिवार में एक साथ रहने व विश्वास के कारण अकेले उन लोगो के नाम करा दिया गया था। किन्तु आज भी सुखलाल के सभी वारिसान आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा अपने हिस्से 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर रहे है। जिसमें किसी तरह का पक्षकारान् के बीच कोई विवाद नही है। हाल ही में सुखलाल के एक पुत्र गोपी का देहान्त हो चुका है और गोपी के वारिसान 04 ता 10 है। जिनका गोपी के स्थान पर विरासत का नामान्तकरण भरा जा चुका है। अतः सुखलाल के प्रत्येक वारिसान को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 हिस्सा वादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा वादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 के नाम दर्ज किया जावे।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में बताया की सभी पक्षकारान् स्व. सुखलाल मीना के वारिसान ोना तथा संयुक्त परिवार के सदस्य होना तथा संयुक्त परिवार में रहकर आराजी को काश्त करना प्रतिवादीगण ीकार करते है। इस बात को भी स्वीकार करते है की उनके नाम दर्ज आराजीयात संयुक्त परिवार में रहकर ायी व बसायी है। जिसमें हम सभी सुखलाल के वारिसान का हक हिस्सा निहित है और हम सभी आराजी को युक्त रूप से काश्त कर हिस्सा 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर उपयोग उपभोग कर रहे है। प्रस्तुत वाद के मी अनुतोष को प्रतिवादीगण स्वीकार करते है। प्रतिवादीगण, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार करते है और द वादीगण डिक्री फरमाये जाने में प्रतिवादीगण सहमत है। पक्षकारान् ने संयुक्त परिवार में रहकर एवं संयुक्त रेवार की आय से ही हम प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम अंकित आराजीयात को खरीदकर नाम ावायी थी। किन्तु उसके हिस्सेदार हम सभी है। सुखलाल के हम 06 वारिसान है। जिसमें से एक पुत्र गोपी का ान्त हो चुका है। जिसके वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 04 ता 10 है। खाता संख्या 592 व 101 में वर्णित राजीयात हम पक्षकारान् के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। किन्तु खाता संख्या 144, 651, 624 व 523 वाके म कठमाना हम प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम तन्हा खातेदारी में दर्ज है। इस आराजीयात में हम तेवादीगण के साथ साथ सुखलाल के अन्य वारिसानो का भी बराबर का हक हिस्सा निहित है और हम अन्य रिसानो को हिस्सा देने ओर उनके नाम रिकॉर्ड में अंकित कराने हेतु सहमत है। मौके पर हम आराजी को ुक्त रूप से काश्त कर अपने हिस्से 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर रहे है, और हम वादीगण और सुखलाल के य वारिसानो का हक हिस्सा होना स्वीकार करते है। इस कारण हम सुखलाल के वारिसानो को वादपत्र के पैरा ख्या 01 में वर्णित आराजीयात मे बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त फरमाये ने का आदेश प्रदान करे।

उप खण्ड अधिकारी
बीपलू (टोंक)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। उक्त उनवानी प्रकरण में वादीगण ने कथन किया है की वादग्रस्त भूमियां वर्तमान जमाबंदी खाता संख्या 592, 101, 144, 651, 624, 523 वाके ग्राम कठमाना में स्थित है। जिसमें सुखलाल के प्रत्येक वारिसान का 1/6 हिस्सा निहित है। वादीगण व प्रतिवादीगण स्व0 सुखलाल मीना के वारिसान है और एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। आज भी वादीगण व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से एक साथ रहवास कर रहे है ओर अपनी उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि आराजीयात को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है। प्रतिवादी संख्या 01, 02, 03, 05 के नाम दर्ज भूमि पक्षकारान् ने अपने संयुक्त परिवार में रहकर बनाई बसाई है। किन्तु विक्रय पत्र पारिवारिक सहमति व संयुक्त परिवार में एक साथ रहने व विश्वास के कारण अकेले उन लोगो के नाम करा दिया गया था। किन्तु आज भी सुखलाल के सभी वारिसान आराजी को संयुक्त रूप से काश्त कर रहे है तथा अपने हिस्से 1/6 अनुसार पैदावार प्राप्त कर रहे है। जिसमें किसी तरह का पक्षकारान् के बीच कोई विवाद नही है। इस कारण सुखलाल के प्रत्येक वारिसान को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित जाकर राजस्व रिकॉर्ड में 1/6 हिस्सा वादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा वादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 के नाम, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 03 के नाम व 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 के नाम दर्ज किया जावे। प्रतिवादीगण ने सुखलाल के प्रत्येक वारिसान का 1/6 हक हिस्सा होना स्वीकार कर वादपत्र के पैरा संख्या 01 में वर्णित आराजीयात में सुखलाल के सभी वारिसानो को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकॉर्ड दुरूस्त रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। उक्त विवेचनानुसार उभयपक्ष की सहमति के आधार वाद वादीगण डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः वाद वादीगण स्वीकार किया इस प्रकार डिक्री की जाती है, की भूमि आराजी ख0न0 725, 726, 727, 728, 729, 730, 762, 763, 764, 765 कुल किता 10 कुल रकबा 2.7945 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 766, 776, 777, 782, 783 कुल किता 05 कुल रकबा 2.6682 हैक्ट. व 732, 733, 758, 760, 761 कुल 05 कुल रकबा 3.0095 हैक्ट. व ख0न0 736, 756, 757 कुल किता 03 कुल रकबा 1.8967 हैक्ट. व भूमि ख0न0 734 रकबा 1.7956 हैक्ट. व भूमि ख0न0 3357, 3358, 697, 710, 743, 747, 767 कुल किता 07 कुल रकबा 3.6670 हैक्ट. वाके ग्राम कठमाना, पटवार हल्का कठमाना में वादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, वादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 को 1/6 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 04 ता 10 को संयुक्त रूप से 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। लिहाजा उक्त प्रकरण में राजस्व हानि कारित होती है। अतः तहसीलदार पीपलू को निर्देशित किया जाता है की स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा राजकोष किये जाने के उपरान्त मुताबिक निर्णय अनुसार पालना कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। बैंक प्रभार यथावत रहेगा। डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।

उप खण्ड अधिकारी पीपलू (टोंक)

(कवि[illegible])
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner